

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 10 / 2019 दिनांक 03.05.2019

सुश्री पूर्णिमा यादव (RJ1068), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालोर को दिनांक 15.04.2019 से 16.04.2019 तक 02 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 14.04.2019 एवं 17.04.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

सुश्री यादव की अनुपस्थिति में अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, जालोर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालोर के पद पर ही की गई।

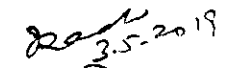
आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/56/2016/ 4153 दिनांक : 3.5.19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर को उनके पत्रांक 1910 दिनांक 22.04.2019 के सन्दर्भ में।
3. सुश्री पूर्णिमा यादव (RJ1068), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालोर।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालोर।
5. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, जालोर।


सहायक रजिस्ट्रार